## Order Sheet [Contd] Case No 122/2017 बी.ए

	Case No 122	2 / 2017 લા.પ
Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
12-04-17	अविदक/अभियुक्त रिंकू उर्फ रिंका की ओर से श्री ए०के०समाधिया अधिवक्ता। राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक। आरक्षी केन्द्र गोहद जिला भिण्ड से अप०क० 45/17 धारा 379 भा०दं०वि० की कंश डायरी प्रतिवेदन सहित प्रस्तुत। अविदक/अभियुक्त की ओर से अधि. श्री ए०के० समाधिया द्वारा प्रथम नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा०फौ० का पेश कर निवेदन किया कि पुलिस थाना गोहद के द्वारा झूठी रिपोर्ट के आधार पर आवेदक के विरुद्ध गलत मामला दर्ज कर लिया है, जबिक उक्त अपराध से आवेदक का कोई संबंध सरोकार नहीं है। आवेदक/अभियुक्त कृषि कार्य एवं दूध का विकय कर अपने परिवार का भरण पोषण का कार्य करता है। यदि अधिक समय तक अभिरक्षा में रहा तो उसके परिवार के समक्ष भूखों मरने की स्थिति उत्पन्न हो जावेगी। आवेदक जमानत की समस्त शर्तों का पालन करेगा। अतः आवेदक को उचित जमानत मुचलके पर छोड़े जाने का निवेदन किया है। राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है। उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। केश डायरी का अवलोकन किया गया।  अवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्कों पर अत्यधिक वल्र दिया है के आवेदक/अभियुक्त के द्वारा कोई अपराध नहीं किया है उसे प्रकरण में झूठा फंसाया है।  प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त के द्वारा कोई अपराध नहीं किया है उसे प्रकरण में झूठा फंसाया है। अवेदक/अभियुक्त के द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर चोरी गया वाहन जप्त किया गया है। अतः उपलब्ध दस्तावेज एवं प्रकरण की परिस्थितियां को देखते हुए आवेदक को प्रतिभृति पर मुक्त किया जाना ज्वित प्रतीत नहीं होता है। परिणामतः आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा०फौ० निरस्त किया जाता हैं। आवेरक अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा०फौ० निरस्त किया जाता हैं। अवेरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।  (वीरेन्द्र सिंह राजपूत) अपर सन्न न्यायाधीश गोहद जिला— भिण्ड म0प्र0	

WITHOUT PROTOTO STATE OF STATE

WITHOUT PATERS BUILTING BUILTI